न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :– 38 / 2024 निर्णय दिनांक :–02.02.2024

आदेश

तहसीलदार कुचामन सिटी ने ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 953 / 640 रकबा 0.2944 हैक्टर किस्म बारानी–2 में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षो से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी–2 दर्ज हैं। तहसीलदार कुचामन सिटी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 953 / 640 रकबा 0.2944 हैक्टर किस्म बारानी–2 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी–2 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 953 / 640 रकबा 0.2944 हैक्टर किस्म बारानी–2 दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षो से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 953 / 640 रकबा 0.2944 हैक्टर किस्म बारानी–2 मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा तहसीलदार कुचामन सिटी ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक / प.3(2) राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये है।

अतः तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 953 / 640 रकबा 0.2944 हैक्टर किस्म बारानी–2 सम्पूर्ण भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त गै. मु. रास्ता की भूमि खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार कुचामन सिटी को पालनार्थ भिजवाई जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:15 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)